रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042021-226470 CG-DL-E-09042021-226470

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1407]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943

No. 1407]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

का. आ. 1518(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा11क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई.डी भी दें, जो पठनीय हो।

2125 GI/2021 (1)

संशोधन:

दि.मु.यो2021		
विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन	

अध्याय 6: थोक व्यापारी

पैरा 6.4.1.1

v. स्टैंड अलोन गोदामों के स्वामियों को 31.12.2020 तक योजनाओं को अनुमोदित करवाना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के स्वामियों और 30.0 मी. से कम मार्गाधिकार पर स्थित मौजूदा गोदामों को 31.12.2020 तक अन्य अनुरूप क्षेत्रों/गोदाम समूहों में स्थानांतरित करना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में चल रहे ऐसे गोदामों को उपरोक्त समयाविध के अंदर बंद करना होगा।

v. स्टैंड अलोन गोदामों के स्वामियों को 31.12.2023 तक योजनाओं को अनुमोदित करवाना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में आनेवाले प्लॉटों के स्वामियों और 30.0 मी. से कम मार्गाधिकार पर स्थित मौजूदा गोदामों को 31.12.2023 तक अन्य अनुरूप क्षेत्रों/गोदाम समूहों में स्थानांतरित करना होगा। गैर अनुरूप क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे गोदामों को उपरोक्त समयावधि के अंदर बंद करना होगा।

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उपनिदेशक (योजना) कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दि.वि.प्रा., छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx पर भी उपलब्ध है।

[फाइल सं. एफ. : 3(84)/2010-एमपी] डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th April, 2021

S.O. 1518(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority / Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi – 2021, under Section 11A of DD Act 1957, are hereby published for public information. Any person having any objection / suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner – cum – Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi – 110023 **or** via e-mail to mpd2021.public@dda.org.in within a period of Forty-Five(45) days from the date of issue of this notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modifications

MPD 2021		
Existing Provisions	Proposed Amendments/Modifications	
Chapter 6: Wholesale Trade		
Para 6.4.1.1.		
v. Owners of standalone godowns needs to get the plans approved by 31.12.2020. The owners of plots falling in nonconforming areas and existing godowns located on less than 30.0 m ROW will have to shift to the other conforming areas / godown clusters by 31.12.2020. Such godowns functioning in non-conforming areas shall have to close down within the above said time period.	v. Owners of standalone godowns needs to get the plans approved by 31.12.2023 . The owners of plots falling in nonconforming areas and existing godowns located on less than 30.0 m ROW will have to shift to the other conforming areas / godown clusters by 31.12.2023 . Such godowns functioning in non-conforming areas shall have to close down within the above said time period.	

The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Dy. Dir. (Plg.) Master Plan Section, DDA, 6th floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-110002 on all working days during the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx

[F. No. F. 3(84)/2010-MP] D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.